सीसीआरएएस - परम्परा

पारम्परिक स्वास्थ्य परम्पराओं का प्रलेखन, मूल्यांकन एवं वैज्ञानिक प्रमाणीकरण

केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्

जवाहरलाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान भवन

संख्या 61–65, इंस्टीट्यूशनल एरिया, 'डी' ब्लॉक के सम्मुख, जनकपुरी

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली-110058

सीसीआरएएस - परम्परा

पारम्परिक स्वास्थ्य परम्पराओं का प्रलेखन, मूल्यांकन एवं वैज्ञानिक प्रमाणीकरण

पृष्ठभूमि

भारत उन देशों में अग्रणी है, जिनकी स्वास्थ्य परम्पराएँ अत्यन्त प्राचीन एवं समृद्ध हैं तथा जिनका आधार स्वदेशी पारम्परिक ज्ञान की सुदृढ़ परम्परा पर आधारित है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित यह पारम्परिक ज्ञान चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टाङ्ग संग्रह आदि जैसे प्रामाणिक आयुर्वेदिक ग्रन्थों में सुव्यवस्थित रूप से अभिलिखित है। इसके अतिरिक्त अनेक गैर-चिकित्सीय ग्रन्थों में भी स्वास्थ्य संबंधी उपयोगी जानकारी अनुपूरक रूप में उपलब्ध है। इसके विपरीत, अनेक ऐसी स्वास्थ्य परम्पराएँ, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्थानीय समुदायों द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं, मौखिक स्वास्थ्य परम्पराओं तथा नृजातीय चिकित्सीय परम्पराओं के रूप में संरक्षित एवं प्रचलित हैं, अभी भी व्यवस्थित रूप से प्रलेखित नहीं हो सकी हैं।

केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं तथा नृजातीय चिकित्सीय परम्पराओं के प्रलेखन एवं प्रमाणीकरण हेतु निरंतर प्रयासरत है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परिषद् दो प्रकार की कार्यप्रणालियाँ अपनाती है। प्रथम, सक्रिय दृष्टिकोण, जिसके अंतर्गत परिषद् अपने 14 संस्थानों के माध्यम से 14 राज्यों में जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान कार्यक्रम तथा 14 संस्थानों के माध्यम से 13 राज्यों में मेडिको-एथ्नो बॉटनिकल सर्वे संचालित कर स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं एवं नृजातीय चिकित्सीय ज्ञान का व्यवस्थित प्रलेखन करती है। द्वितीय, प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों एवं पारम्परिक ज्ञानधारकों द्वारा स्वैच्छिक रूप से उपलब्ध कराए गए चिकित्सीय सूत्रों एवं परम्परागत उपचार-पद्धतियों को संकलित किया जाता है। सीसीआरएएस ने ऐसी सूचनाओं के परीक्षण, मूल्यांकन एवं वैज्ञानिक प्रमाणीकरण के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र विकसित किया है। चिकित्सीय दावों एवं परम्परागत उपचार-पद्धतियों के प्रलेखन के उपरान्त उनकी विशिष्टता का परीक्षण किया जाता है तथा वैज्ञानिक औचित्य एवं अनुसंधान-आधारित उपयोगिता के आधार पर उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाती है। यह समस्त प्रक्रिया एक संरचित प्रारूप एवं वैज्ञानिक, व्यवस्थित कार्यप्रणाली के माध्यम से संपादित की जाती है।

पारम्परिक चिकित्सक एवं ज्ञानधारक प्रायः शास्त्रीय आयुर्वेदिक योगों अथवा संहिताबद्ध ग्रन्थों से परे उनके संशोधित रूपों का उपयोग कर विविध रोगावस्थाओं का उपचार करते हैं। वर्तमान समय में आयुर्वेदिक चिकित्सा-व्यवहार मुख्यतः भारतीय आयुर्वेदीय भेषज संहिता तथा भारतीय आयुर्वेदीय योगसंग्रह जैसे संहिताबद्ध स्रोतों पर आधारित है, तथापि मौखिक स्वास्थ्य परम्पराओं तथा नृजातीय चिकित्सीय परम्पराओं में अप्रलेखित पारम्परिक ज्ञान का एक विशाल भण्डार आज भी विद्यमान है। इन परम्पराओं में प्रायः अनुक्त द्रव्य (जो प्रामाणिक आयुर्वेदिक ग्रन्थों में वर्णित नहीं हैं) तथा नवीन औषधीय योगों का प्रयोग किया जाता है। यह तथ्य आयुर्वेदीय भेषज-साहित्य को समृद्ध करने तथा स्वदेशी पारम्परिक ज्ञान के संरक्षण एवं उसके क्षरण को रोकने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। वर्तमान में नृजातीय चिकित्सीय परम्पराओं का एक बड़ा भाग अभी भी अप्रलेखित है, जो उनके वैज्ञानिक मूल्यांकन, प्रमाणीकरण तथा अनुसंधानात्मक उपयोगिता में एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है।

इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) ने पारम्परिक स्वास्थ्य परम्पराओं के **प्रलेखन, मूल्यांकन एवं वैज्ञानिक प्रमाणीकरण** (परम्परा) पहल का शुभारम्भ किया है। इस पहल के अंतर्गत पारम्परिक ज्ञानधारकों द्वारा अपनाई जाने वाली पारम्परिक चिकित्सीय पद्धतियों का व्यवस्थित प्रलेखन एवं वैज्ञानिक प्रमाणीकरण किया जाता है। साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन-पद्धति को अपनाकर परम्परा अप्रलेखित पारम्परिक/स्वदेशी ज्ञान एवं औपचारिक वैज्ञानिक मूल्यांकन के मध्य विद्यमान अंतराल को पाटने का कार्य करती है। इसके माध्यम से भारत की समृद्ध चिकित्सीय विरासत के संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए अनुसंधान एवं विकास के नवीन आयामों के उद्घाटन का मार्ग भी प्रशस्त होता है।

यह पहल विशिष्ट स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं के वैज्ञानिक प्रमाणीकरण एवं व्यवस्थित प्रलेखन पर विशेष बल देती है। इसका उद्देश्य इस तथ्य को रेखांकित करना है कि साक्ष्य-आधारित वैज्ञानिक मूल्यांकन न केवल इन परम्पराओं की वैश्विक स्वीकृति के लिए अनिवार्य है, बल्कि भारत की समृद्ध चिकित्सीय विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।

उद्देश्य

1. स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं, मौखिक स्वास्थ्य परम्पराओं तथा नृजातीय चिकित्सीय परम्पराओं का व्यवस्थित प्रलेखन एवं वैज्ञानिक प्रमाणीकरण करना
2. नृपशुचिकित्सीय परम्पराओं का व्यवस्थित प्रलेखन एवं वैज्ञानिक प्रमाणीकरण करना
3. वैज्ञानिक औचित्य के आधार पर उपयुक्त चिकित्सीय दावों एवं परम्परागत उपचार-पद्धतियों पर पूर्व-नैदानिक, नैदानिक तथा अन्य अनुसंधान अध्ययन संपादित करना।

परिचालन दिशानिर्देश

चरण - 1

i. निर्धारित प्रपत्र में पारम्परिक स्वास्थ्य परम्पराओं के प्रलेखन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना:

केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस)-परम्परा के अंतर्गत पारम्परिक स्वास्थ्य परम्पराओं के प्रलेखन हेतु निर्धारित प्रपत्र सीसीआरएएस की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक पारम्परिक ज्ञानधारक उपलब्ध कराए गए प्रपत्र (भाग-I) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जो पारम्परिक ज्ञानधारक स्वयं प्रपत्र भरने में असमर्थ हों, वे इसके लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सहयोग प्रदान करने वाले व्यक्तियों को सीसीआरएएस द्वारा यथोचित अभिस्वीकृति प्रदान की जाएगी। विधिवत् भरा हुआ प्रपत्र (भाग–I), कम-से-कम 20 प्रलेखित प्रकरणों (Cases) के सहायक अभिलेखों सहित, निम्नलिखित पते पर प्रेषित किया जा सकता है: महानिदेशक, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान भवन, इंस्टीट्यूशनल एरिया, डी ब्लॉक के सामने, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 अथवा ई-मेल ccraspar-ampara@gmail.com पर अथवा देश के विभिन्न भागों में स्थित सीसीआरएएस की निकटतम इकाइयों (परिशिष्ट–I) में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। चिकित्सीय दावों अथवा परम्परागत उपचार-पद्धतियों से संबंधित जानकारी सीसीआरएएस को उपलब्ध कराना पूर्णतः स्वैच्छिक है तथा ऐसा करना इस पहल के नियमों एवं शर्तों के प्रति सहमति का द्योतक होगा। प्रस्तुत की गई समस्त जानकारी को सीसीआरएएस के अभिलेखों में पूर्ण गोपनीयता के साथ सुरक्षित रखा जाएगा।

भाग-क : सीसीआरएएस सचिवालय द्वारा पारम्परिक चिकित्सीय दावों/उपचार-पद्धतियों का प्रारम्भिक मूल्यांकन:

सीसीआरएएस सचिवालय पारम्परिक चिकित्सीय दावों एवं उपचार-पद्धतियों का प्रारम्भिक मूल्यांकन एवं परीक्षण करेगा। इस प्रक्रिया में उनकी मौलिकता, नवीनता/विशिष्टता, वैज्ञानिक औचित्य, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं अपूर्ण आवश्यकताओं के साथ संगति, अनुसंधान-आधारित उपयोगिता, आईयूसीएन संरक्षण स्थिति, तथा व्यवहार्यता एवं उपयुक्तता का परीक्षण किया जाएगा। यह समस्त मूल्यांकन जैव विविधता अधिनियम, 2002 तथा अन्य प्रासंगिक नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

भाग-ख : क्षेत्रीय भ्रमण:

सीसीआरएएस सचिवालय द्वारा प्रारम्भिक परीक्षण के उपरान्त, यदि चिकित्सीय दावा अथवा उपचार-पद्धति उपयुक्त पाई जाती है, तो आवश्यकता के अनुसार सीसीआरएएस की एक विशेषज्ञ टीम, जिसमें आयुर्वेद एवं वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञ अथवा आवश्यकतानुसार अन्य विषय-विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे, पारम्परिक ज्ञानधारक के स्थान का क्षेत्रीय भ्रमण करेगी। इस भ्रमण का उद्देश्य पारम्परिक चिकित्सीय दावे अथवा उपचार-पद्धति का पुनर्मूल्यांकन एवं सत्यापन करना होगा।

चरण-2

i. आन्तरिक परीक्षण समिति द्वारा समीक्षा:

सीसीआरएएस की आन्तरिक परीक्षण समिति, क्षेत्रीय भ्रमण प्रतिवेदन के आधार पर पारम्परिक चिकित्सीय दावों एवं उपचार-पद्धतियों की समीक्षा करेगी। समीक्षा के दौरान उनकी मौलिकता, नवीनता/विशिष्टता, वैज्ञानिक औचित्य, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं अपूर्ण आवश्यकताओं के साथ संगति, अनुसंधान-आधारित उपयोगिता, आईयूसीएन संरक्षण स्थिति, तथा व्यवहार्यता एवं उपयुक्तता का परीक्षण जैव विविधता अधिनियम, 2002 तथा अन्य प्रासंगिक

नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाएगा, ताकि उन्हें अग्रिम वैज्ञानिक मूल्यांकन हेतु विचारार्थ लिया जा सके। मूल्यांकन की किसी भी अवस्था में, आवश्यकता पड़ने पर सीसीआरएएस किसी बाह्य विषय-विशेषज्ञ को समिति के सहयोजित विशेषज्ञ सदस्य के रूप में सम्मिलित कर सकता है।

ii. **विशेषज्ञ समीक्षाः**

विशिष्ट पारम्परिक चिकित्सीय दावों एवं उपचार-पद्धतियों को उनके वैज्ञानिक औचित्य तथा आगे अनुसंधान हेतु उपयुक्तता के मूल्यांकन के लिए सीसीआरएएस की समितियों, जैसे परियोजना अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति, वैज्ञानिक सलाहकार समूह, वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड अथवा परिषद् द्वारा नामित विषय-विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आवश्यकता होने पर पारम्परिक ज्ञानधारक को उक्त सीसीआरएएस समितियों के साथ विचार-विमर्श हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

उपर्युक्त समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर, ऐसे पारम्परिक चिकित्सीय दावों एवं उपचार-पद्धतियों को सीसीआरएएस की अनुसंधान एवं व्यावसायीकरण नीति के अनुरूप अनुसंधान एवं विकास के लिए ग्रहण किया जा सकता है। इसके लिए गोपनीयता अनुबंध सहित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

****

पारम्परिक स्वास्थ्य परम्पराओं के प्रलेखन हेतु प्रपत्र

केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्
आयुष मंत्रालय
(भारत सरकार)

सीसीआरएएस-परम्परा

भाग–I : प्रारम्भिक परीक्षण हेतु प्रपत्र

(पारम्परिक ज्ञानधारक द्वारा प्रथम बार प्रस्तुत किए जाने हेतु संक्षिप्त प्रपत्र)

केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार

यह प्रथम चरण में प्रस्तुत किया जाने वाला संक्षिप्त प्रपत्र है, जिसे इस उद्देश्य से तैयार किया गया है कि पारम्परिक ज्ञानधारक अपनी पारम्परिक चिकित्सीय जानकारी साझा करने के प्रति निरुत्साहित न हों। इसमें पारम्परिक ज्ञानधारक/आवेदक का विवरण, चिकित्सीय दावे अथवा उपचार-पद्धति का संक्षिप्त विवरण तथा उपचारित कम-से-कम 20 प्रकरणों का सार-संक्षेप सम्मिलित है। प्रारम्भिक परीक्षण में उपयुक्त पाए गए दावे/उपचार-पद्धतियाँ (सीसीआरएएस–परम्परा की वर्तमान चरण–1 प्रक्रिया के अनुसार) आगे के लिए भाग–II : विस्तृत वैज्ञानिक प्रलेखन प्रपत्र में अग्रेषित की जाएँगी, जिसे सीसीआरएएस के आयुर्वेद अनुसंधान अधिकारी के सहयोग से संयुक्त रूप से पूर्ण किया जाएगा। भाग–I प्रस्तुत किए जाने मात्र से किसी चिकित्सीय दावे अथवा उपचार-पद्धति की स्वीकृति का अभिप्राय नहीं होगा।

अनुभाग-क : पारम्परिक ज्ञानधारक/आवेदक का विवरण

	क. पारम्परिक ज्ञानधारक/आवेदक - मूलभूत जानकारी	
क्र. सं.	**विवरण**	**विवरण/प्रतिक्रिया**
क.1	नाम एवं पूर्ण पता (मोबाइल नंबर तथा ई-मेल सहित, यदि उपलब्ध हो)	
क.2	आयु/जन्मतिथि	
क.3	लिंग	
क.4	सामान्य शैक्षिक योग्यता	
क.5	चिकित्सा/पारम्परिक चिकित्सा संबंधी योग्यता (यदि कोई हो) उपाधि/प्रमाणपत्र, संस्थान तथा योग्यता प्राप्ति का वर्ष	
क.6	पारम्परिक चिकित्सा पद्धति/श्रेणी स्थानीय स्वास्थ्य परम्परा / मौखिक स्वास्थ्य परम्परा / नृजातीय चिकित्सीय परम्परा / नृपशुचिकित्सीय परम्परा / अन्य (कृपया उल्लेख करें)	
क.7	ज्ञान का स्रोत - यह परम्परागत ज्ञान किस प्रकार प्राप्त हुआ वंशानुगत / गुरु-शिष्य परम्परा / स्वानुभव / सामुदायिक ज्ञान / अन्य (कृपया उल्लेख करें)	
क.8	चिकित्सा-परम्परा का पारिवारिक इतिहास (i) क्या यह परम्परा वंशानुगत है अथवा परिवार में पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित हुई है? (हाँ/नहीं) (ii) इस चिकित्सा-परम्परा से जुड़े परिवार की पीढ़ियों की संख्या (iii) जिस परिवार के सदस्य/सदस्यों से यह ज्ञान प्राप्त हुआ, उनका नाम एवं संबंध	
क.9	चिकित्सा-अभ्यास की अवधि / कुल अनुभव (वर्षों में)	
क.10	रोग-चिकित्सा में विशेषज्ञता का क्षेत्र/शाखा	
क.11	यदि कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया हो औपचारिक अथवा अनौपचारिक; संस्थान/गुरु; प्रशिक्षण अवधि; प्राप्त प्रमाणपत्र (यदि उपलब्ध हो तो प्रति संलग्न करें)	
क.12	क्या आप किसी पारम्परिक/स्थानीय चिकित्सक संगठन अथवा संघ के साथ पंजीकृत हैं? यदि हाँ, तो पंजीकरण का विवरण दें।	
क.13	क्या आवेदक के स्थानीय क्षेत्र में आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्यस्थल/ग्राम से उसकी दूरी का उल्लेख करें।	

अनुभाग-ख : चिकित्सीय दावे/उपचार-पद्धति का संक्षिप्त विवरण

यह अनुभाग औषधि/औषधीय योग, उपचार-प्रक्रिया/तकनीक अथवा उपकरण/यंत्र संबंधी चिकित्सीय दावों- सभी पर समान रूप से लागू होता है। कृपया केवल उन बिंदुओं को भरें, जो बिंदु B.1 में चयनित दावे/उपचार-पद्धति के प्रकार से संबंधित हों; शेष प्रविष्टियों के समक्ष "लागू नहीं (N/A)" अंकित करें। प्रारम्भिक मूल्यांकन के उपरान्त, आवश्यकता के अनुसार चयनित दावे/उपचार-पद्धति से संबंधित विस्तृत तकनीकी विवरण भाग–II में अभिलिखित किया जाएगा। इसमें औषधि/औषधीय योग का विवरण अनुभाग B1–B3, उपचार-प्रक्रिया/तकनीक का विवरण अनुभाग B4, तथा उपकरण/यंत्र का विवरण अनुभाग B5 में दर्ज किया जाएगा।

	ख. चिकित्सीय दावे/उपचार-पद्धति का स्वरूप एवं संक्षिप्त विवरण	
क्र. सं.	**विवरण**	**विवरण/प्रतिक्रिया**
ख. 1	चिकित्सीय दावे का प्रकार (जो लागू हो, उस पर ✓ करें) ☐ एकल औषधि ☐ संयुक्त औषधीय योग (औषधीय योग) ☐ उपचार-प्रक्रिया/तकनीक ☐ उपकरण/यंत्र	
ख. 2	चिकित्सीय दावे/उपचार-पद्धति का नाम यदि औषधि/औषधीय योग हो- उसका क्षेत्रीय/स्थानीय नाम, हिन्दी नाम, संस्कृत नाम तथा वानस्पतिक/वैज्ञानिक नाम (यदि ज्ञात हो)। यदि उपचार-प्रक्रिया/तकनीक अथवा उपकरण/यंत्र हो- स्थानीय/क्षेत्रीय प्रचलित नाम तथा हिन्दी नाम (यदि उपलब्ध हो)।	
ख. 3	चिकित्सीय दावे/उपचार-पद्धति का संक्षिप्त विवरण 3–4 पंक्तियों में विवरण दें- यह क्या है; यदि उपचार-प्रक्रिया है, तो प्रयुक्त तकनीक तथा सामग्री/उपकरणों का संक्षिप्त विवरण; यदि उपकरण/यंत्र है, तो उसकी संरचना, उद्देश्य तथा उपयोग/प्रयोग की विधि का संक्षिप्त विवरण	
ख. 4	प्रयुक्त सामग्री, उपकरण अथवा यंत्र यह केवल उपचार-प्रक्रिया/तकनीक तथा उपकरण/यंत्र संबंधी दावों पर लागू है। यहाँ केवल संक्षिप्त विवरण दें; विस्तृत विवरण, आयाम तथा छायाचित्र/रेखाचित्र भाग–II में दिए जाएँगे	
ख. 5	यह चिकित्सीय दावा/उपचार-पद्धति किन रोगों अथवा रोगावस्थाओं के लिए प्रयुक्त होती है	
ख. 6	क्या यह परम्परागत/वंशानुगत चिकित्सा-पद्धति है? यदि हाँ, तो इसके उपयोग की अनुमानित अवधि (वर्षों में) का उल्लेख करें	
ख. 7	स्थानीय क्षेत्र में औषधीय द्रव्य की उपलब्धता *केवल औषधि/औषधीय योग संबंधी दावों पर लागू; अन्यथा "लागू नहीं (N/A)" अंकित करें।* ☐ *प्रचुर मात्रा में उपलब्ध* ☐ *सामान्यतः उपलब्ध* ☐ *कभी-कभार/अल्प उपलब्ध* ☐ *दुर्लभ* ☐ *अत्यंत दुर्लभ* ☐ *लागू नहीं (N/A)*	
ख. 8	क्या यह चिकित्सीय दावा/उपचार-पद्धति किसी अन्य संस्था/अभिकरण को प्रस्तुत की गई है अथवा वहाँ विचाराधीन है?	

अनुभाग–ग : प्रारम्भिक प्रकरण-सारांश (न्यूनतम 20 प्रकरण)

प्रारम्भिक मूल्यांकन हेतु उपर्युक्त चिकित्सीय दावे/उपचार-पद्धति के आधार पर उपचारित न्यूनतम 20 प्रकरणों का विवरण प्रस्तुत करें। आगे के वैज्ञानिक मूल्यांकन हेतु चयनित प्रकरणों का विस्तृत एवं सत्यापित प्रकरण-प्रलेखन प्रपत्र, सीसीआरएएस के आयुर्वेद अनुसंधान अधिकारी के सहयोग से भाग–II में तैयार किया जाएगा। (यदि 20 से अधिक प्रकरणों का विवरण प्रस्तुत करना हो, तो इसी प्रारूप में अतिरिक्त पत्रक संलग्न करें।)

क्र. सं.	रोगी/विषय का नाम	आयु/लिंग	पता (ग्राम/नगर, जनपद, राज्य)	निदान/उपचारित रोगावस्था	उपचार का परिणाम
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

अनुभाग-घ : घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त प्रस्तुत जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है तथा मैं सीसीआरएएस–परम्परा पहल के अंतर्गत प्रारम्भिक परीक्षण हेतु इस चिकित्सीय दावे/उपचार-पद्धति को स्वेच्छा से सीसीआरएएस को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं इस प्रस्तुतीकरण के विवरण का उपयोग विज्ञापन अथवा आत्म-प्रचार के लिए नहीं करूँगा/करूँगी।

मैं समझता/समझती हूँ कि इस भाग–I प्रपत्र को प्रस्तुत करने मात्र से सीसीआरएएस द्वारा इस चिकित्सीय दावे/उपचार-पद्धति की स्वीकृति अथवा अनुमोदन का अभिप्राय नहीं है, न ही इससे मुझे किसी प्रमाण-पत्र, पुरस्कार अथवा सम्मान का अधिकार प्राप्त होगा।

दिनांक: _____ स्थान: _____

पारम्परिक ज्ञानधारक के हस्ताक्षर

संलग्नकों की जाँच-सूची: (क) विधिवत् पूर्ण किया गया भाग–I प्रपत्र (अनुभाग–क से ग); (ख) न्यूनतम 20 प्रकरणों का सारांश (अनुभाग–ग); (ग) पादप नमूना, जहाँ लागू हो; (घ) दावा किए गए किसी उपकरण/यंत्र का छायाचित्र, जहाँ उपलब्ध हो।

सीसीआरएएस-परम्परा

भाग-II : विस्तृत वैज्ञानिक प्रलेखन प्रपत्र

(भाग–I के प्रारम्भिक परीक्षण के उपरान्त चयनित चिकित्सीय दावों/उपचार-पद्धतियों के लिए, सीसीआरएएस के आयुर्वेद अनुसंधान अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से भरा जाना है।)

केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस)आयुष मंत्रालय, भारत सरकार

यह भाग–II प्रलेखन केवल उन चिकित्सीय दावों/उपचार-पद्धतियों के लिए किया जाएगा, जो भाग–I के प्रारम्भिक परीक्षण में उपयुक्त पाए गए हों। इसे आन्तरिक परीक्षण समिति एवं विशेषज्ञ समीक्षा हेतु पारम्परिक ज्ञानधारक तथा सीसीआरएएस के आयुर्वेद अनुसंधान अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से पूर्ण किया जाएगा।

भाग–I से संदर्भ		
क्र. सं.	**विवरण**	**विवरण / प्रतिक्रिया**
संदर्भ-1	आवेदक का नाम (भाग-I, अनुभाग-क.1 के अनुसार)	
संदर्भ-2	भाग-I का प्रस्तुतिकरण/संदर्भ संख्या एवं दिनांक	
संदर्भ-3	भाग–I के अनुभाग-ग से विस्तृत प्रलेखन हेतु चयनित प्रकरण (क्रम संख्या का उल्लेख करें)	

अनुभाग-ख : चिकित्सीय दावे/उपचार-पद्धति का विस्तृत प्रलेखन

ख1. औषधि/औषधीय योग की पहचान - अतिरिक्त विवरण		
क्र. सं.	**विवरण**	**विवरण / प्रतिक्रिया**
ख.1	औषधि का स्रोत/उद्गम (केवल एकल औषधि के लिए) पादप / प्राणी / खनिज / अन्य (कृपया उल्लेख करें)	
ख.2	प्रयुक्त भाग जैसे- मूल, छाल, पत्ती, सम्पूर्ण पादप, निर्यास आदि। यदि संयुक्त औषधीय योग है, तो प्रत्येक घटक के लिए पृथक् उल्लेख करें।	
ख.3	यदि औषधि पादप मूल की है, तो क्या उसका नमूना संलग्न है? (हाँ/नहीं) लगभग एक फुट लंबी पुष्पित अथवा फलयुक्त टहनी, दबाकर एवं भली-भाँति सुखाकर संलग्न करें।	

ख2. संयुक्त औषधीय योग - अतिरिक्त विवरण		
क्र. सं.	**विवरण**	**विवरण / प्रतिक्रिया**
ख.4	क्या यह शास्त्रीय योग (संहिताबद्ध / शास्त्रविहित औषधीय योग) है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो शास्त्रीय नाम लिखें।	
ख.5	यदि शास्त्रीय योग है, तो मूल पाठ (संस्कृत श्लोक)	
ख.6	ग्रन्थ का पूर्ण संदर्भ ग्रन्थ का नाम, खण्ड/भाग, अध्याय तथा श्लोक संख्या	
ख.7	यदि यह शास्त्रीय योग नहीं है, तो घटकों की सूची प्रत्येक घटक का नाम (क्षेत्रीय / हिन्दी / संस्कृत / वानस्पतिक नाम), प्रयुक्त भाग तथा मात्रा/अनुपात	

ख.3 निर्माण, मात्रा एवं सेवन-विधि		
क्र. सं.	**विवरण**	**विवरण / प्रतिक्रिया**
ख.8	औषधीय रूप जैसे- चूर्ण, क्वाथ/कषाय, तैल, वटी/गुटिका, अरिष्ट/आसव, लेह आदि।	
ख.9	निर्माण की विधि/प्रक्रिया निर्माण की चरणबद्ध एवं विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन करें, जिसमें आवश्यकतानुसार शोधन आदि का विवरण भी सम्मिलित हो।	
ख.10	किन-किन रोगों एवं लक्षणों में इसका प्रयोग किया जाता है? (विस्तृत विवरण)	
ख.11	औषधि के अन्य चिकित्सीय प्रभाव/क्रियाएँ	
ख.12	मात्रा (विभिन्न अवस्थाओं/आयु-वर्गों/रोगावस्थाओं के अनुसार)	
ख.13	अनुपान (विभिन्न अवस्थाओं/रोगावस्थाओं के अनुसार प्रयुक्त)	
ख.14	उपचार की अवधि	
ख.15	सेवन/प्रयोग की विधि अथवा मार्ग	
ख.16	पथ्य-अपथ्य (आहार एवं जीवनशैली संबंधी परहेज़ तथा विशेष सावधानियाँ)	
ख.17	यदि कोई दुष्प्रभाव अथवा जटिलताएँ देखी गई हों, तो उनका विवरण	
ख.18	यदि मानकीकरण किया गया हो, तो उसका विवरण	
ख.19	यदि सुरक्षा एवं विषाक्तता संबंधी अध्ययन किए गए हों, तो उनका विवरण	
ख.20	औषधि के उपयोग हेतु विशेष निर्देश जैसे- संग्रहण का समय/ऋतु, भंडारण की परिस्थितियाँ, प्रसंस्करण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ तथा भोजन के सापेक्ष सेवन का समय आदि।	

ख.4 रोग-प्रबंधन हेतु प्रयुक्त उपचार-प्रक्रियाएँ/तकनीकें

यदि चिकित्सक प्रत्यक्ष हस्तक्षेप अथवा उपकरण-सहायित उपचार-प्रक्रियाओं का उपयोग करता है, जैसे- अस्थिभंग/अस्थि-संधान, सूतुरण, दाब-चिकित्सा, अग्निकर्म, रक्तमोक्षण, मालिश/हस्तचालन, प्रसूति संबंधी प्रक्रियाएँ आदि, तभी यह अनुभाग भरें।

ख.4 उपचार-प्रक्रिया/तकनीक का विवरण		
क्र. सं.	**विवरण**	**विवरण / प्रतिक्रिया**
ख.21	उपचार-प्रक्रिया/तकनीक का नाम जैसे- अस्थि-संधान/अस्थिभंग प्रबंधन, सूतुरण, दाब-चिकित्सा, अग्निकर्म, रक्तमोक्षण, मालिश आदि।	
ख.22	यह उपचार-प्रक्रिया किन रोगों/रोगावस्थाओं में प्रयुक्त की जाती है?	
ख.23	उपचार-प्रक्रिया का चरणबद्ध विस्तृत विवरण प्रयुक्त सामग्री/उपकरण, उपचार-तकनीक, प्रत्येक चरण का क्रम तथा प्रत्येक चरण की अवधि।	
ख.24	इस उपचार-प्रक्रिया में चिकित्सक का विशिष्ट प्रशिक्षण/अनुभव	
ख.25	उपचार-सत्रों की आवृत्ति तथा संपूर्ण उपचार-अवधि	
ख.26	उपचार-पूर्व एवं उपचार-पश्चात् देखभाल	
ख.27	सावधानियाँ एवं निषेध	
ख.28	यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव अथवा जटिलताएँ देखी गई हों, तो उनका विवरण	
ख.29	वे प्रकरण जिनमें इस उपचार-प्रक्रिया का उपयोग किया गया तथा उनके परिणाम	
ख.30	क्या यह उपचार-प्रक्रिया परम्परागत/वंशानुगत है अथवा स्वयं विकसित की गई है? इसके उपयोग की अवधि (वर्षों में) का उल्लेख करें।	

ख.5 पारम्परिक ज्ञानधारक द्वारा विकसित अथवा प्रयुक्त उपकरण/यंत्र

यह अनुभाग केवल उस स्थिति में भरा जाए, जब आवेदक द्वारा विकसित, संशोधित अथवा परम्परागत रूप से प्रयुक्त किसी उपकरण, औजार या यंत्र के संबंध में कोई चिकित्सीय दावा प्रस्तुत किया गया हो।

ख.5 उपकरण/यंत्र का विवरण		
क्र. सं.	**विवरण**	**विवरण / प्रतिक्रिया**
ख.31	उपकरण या उपकरण का नाम/स्थानीय नाम	
ख.32	उपकरण का उद्देश्य/उपयोग	
ख.33	उपकरण का विवरण सामग्री, आयाम और डिजाइन-यदि उपलब्ध हो तो एक ड्राइंग या फोटोग्राफ संलग्न करें	
ख.34	उपकरण तैयार करने/बनाने की विधि	
ख.35	डिजाइन का स्रोत पारंपरिक/वंशानुगत या स्व-नवीनीकृत/संशोधित	
ख.36	उपयोग में वर्षों की संख्या	
ख.37	क्या वर्तमान में निर्मित/उपलब्ध है, और स्रोत	
ख.38	उपयोग में सुरक्षा सुविधाएँ और सावधानियाँ	
ख.39	किसी भी मौजूदा मानक उपकरण के साथ तुलना, यदि लागू हो	
ख.40	दस्तावेज के संबंध में कोई अन्य दावा नवीनता	

अनुभाग-ग : प्रकरणों के प्रलेखन हेतु विस्तृत प्रपत्र

प्रकरणों के प्रलेखन हेतु इस प्रपत्र की प्रतिलिपि तैयार करें तथा भाग-I के अनुभाग-ग में सूचीबद्ध (या क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान चिन्हित) प्रत्येक प्रकरण के लिए पृथक् प्रपत्र भरें। प्रत्येक प्रपत्र का पारम्परिक ज्ञानधारक तथा आयुर्वेद अनुसंधान अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से सत्यापन किया जाएगा।

ग. प्रकरणों के प्रलेखन हेतु प्रपत्र (प्रत्येक प्रकरण के लिए पृथक्)		
क्र. सं.	**विवरण**	**विवरण / प्रतिक्रिया**
ग.1	प्रकरण संदर्भ संख्या (भाग-I, अनुभाग-ग, क्रम संख्या का संदर्भ दें।)	
ग.2	रोगी/विषय का नाम, आयु एवं लिंग	
ग.3	पूरा पता	
ग.4	निदान/रोग (नैदानिक मूल्यांकन के आधार पर)	
ग.5	रोग की अवधि (उपचार प्रारम्भ होने से पूर्व)	
ग.6	दिया गया उपचार प्रयुक्त औषधि/औषधीय योग/उपचार-प्रक्रिया/उपकरण-यंत्र तथा उसकी मात्रा एवं उपचार-अवधि	
ग.7	क्या आधुनिक वैज्ञानिक जाँचें कराई गईं? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो उनके निष्कर्ष- पैथोलॉजिकल, जैवरासायनिक, बायोप्सी, एक्स-रे आदि।	
ग.8	उपचार का परिणाम पूर्णतः स्वस्थ / सुधार / कोई परिवर्तन नहीं / स्थिति बिगड़ी - मूल्यांकन की तिथि सहित	
ग.9	अनुवर्ती विवरण, यदि कोई हो	
ग.10	यदि कोई प्रतिकूल घटना, औषधि से होने वाली प्रतिकूल प्रतिक्रिया अथवा जटिलता हुई हो, तो उसका विवरण	
ग.11	आयुर्वेद अनुसंधान अधिकारी की टिप्पणियाँ	

अनुभाग-घ : घोषणा

घ.1 सीसीआरएएस के आयुर्वेद अनुसंधान अधिकारी द्वारा घोषणा		
क्र. सं.	**विवरण**	**विवरण / प्रतिक्रिया**
घ.1	नाम	
घ.2	पदनाम	
घ.3	सीसीआरएएस संस्थान/केंद्र का नाम	
घ.4	क्षेत्रीय भ्रमण की तिथि/तिथियाँ	
घ.5	घोषणा मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस भाग–II प्रलेखन में अभिलिखित विवरणों का उपर्युक्त पारम्परिक ज्ञानधारक के साथ प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से सत्यापन किया गया है।	

आयुर्वेद अनुसंधान अधिकारी के हस्ताक्षर: _____

मैं, अधोहस्ताक्षरी पारम्परिक ज्ञानधारक, यह पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी सहमति से सही रूप में अभिलिखित किए गए हैं।

दिनांक: _____ स्थान: _____

पारम्परिक ज्ञानधारक के हस्ताक्षर

संलग्नकों की जाँच-सूची: (क) विधिवत् पूर्ण किया गया भाग–II प्रपत्र (अनुभाग–ख से घ); (ख) चयनित सभी प्रकरणों के लिए प्रकरण-प्रलेखन का पृथक् प्रपत्र (अनुभाग–ग); (ग) दावा किए गए किसी उपकरण/यंत्र का रेखाचित्र अथवा छायाचित्र (ख.33); (घ) दावा की गई उपचार-प्रक्रिया का छायाचित्र/वीडियो, जहाँ संभव हो (ख.4); (ङ) अन्य सहायक अभिलेख, जैसे- प्रमाण-पत्र, मानकीकरण अथवा सुरक्षा अध्ययन प्रतिवेदन आदि।

परिशिष्ट - I

सीसीआरएएस संस्थानों की सूची

क्र. सं.	सीसीआरएएस संस्थानों के नाम	पता
1.	केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	रोड नं. 66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली – 110026
2.	राष्ट्रीय पंचकर्म आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, चेरुथुरुथी	राष्ट्रीय पंचकर्म आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, चेरुथुरुथी, त्रिशूर जिला, केरल - 679531
3.	केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर	भरतपुर, नियर कलिंगा स्टूडियो, भुवनेश्वर - 751029, जिला-खोर्धा, ओडिशा
4.	केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	4-सीएन ब्लॉक, सेक्टर-V, बिधाननगर, कोलकाता - 700091
5.	केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, पटियाला	मोती बाग रोड, पटियाला-147001
6.	राजा रामदेव आनंदीलाल पोदार (आरआरएपी) केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, मुंबई	पोदार मेडिकल कैंपस, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई – 400018, महाराष्ट्र
7.	राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, हैदराबाद	सर्वे नं. 314, रेवेन्यू बोर्ड कॉलोनी, गड्डीअन्नाराम, हैदराबाद - 500036, तेलंगाना
8.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	आईएनएस-106, सेक्टर–25, इंदिरा नगर, लखनऊ - 226016
9.	एम.एस. क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, जयपुर	इंदिरा कॉलोनी, बनी पार्क, झोटवाड़ा रोड, जयपुर – 302016
10.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर	आमखो, ग्वालियर - 474009, मध्य प्रदेश
11.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, विजयवाड़ा	न्यू राजीव नगर, पायकापुरम, विजयवाड़ा – 520015, आंध्र प्रदेश
12.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, नागपुर	नियर घरकुल परिसर, नियर वेंकटेश नगर, एनआईटी कॉम्प्लेक्स, नंदनवन, नागपुर – 440009, महाराष्ट्र
13.	केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु	12, उत्तरहल्ली मानवर्ते कवल, उत्तरहल्ली (होबली), बैंगलोर साउथ (तालुक), कनकपुरा मेन रोड, तलघट्टापुरा पोस्ट, बेंगलुरु – 560109
14.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम्	पूजप्पुरा, तिरुवनंतपुरम्, केरल – 695012
15.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, पटना	आरएमआरआई बिल्डिंग, "डी" ब्लॉक, अगम कुआँ, पटना – 800007, बिहार
16.	केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी	बोरसोझाई, बेलटोला, गुवाहाटी – 781028

क्र. सं.	सीसीआरएएस संस्थानों के नाम	पता
17.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, गंगटोक	तादोंग, गंगटोक, सिक्किम – 737102
18.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, ईटानगर	नियर मिथुन गेट, ईटानगर – 791111, अरुणाचल प्रदेश
19.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, जम्मू	राजिंदर नगर, बन तालाब, जम्मू – 181123
20.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, मंडी	गांधी भवन, मंडी – 175001, हिमाचल प्रदेश
21.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद	ब्लॉक ए एंड डी, दूसरी मंजिल, बहुमाली भवन, मंजुश्री मिल कम्पाउंड, नियर गिरधरनगर ओवर ब्रिज, असरवा, अहमदाबाद – 380004
22.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, रानीखेत	सीसीआरएएस, थपला, गनियादेओली, रानीखेत, अल्मोड़ा, पिन – 263645, उत्तराखण्ड
23.	केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, झाँसी	ग्वालियर रोड, झाँसी – 284003, उत्तर प्रदेश
24.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, पुणे	गांधी भवन रोड, कोथरुड, पुणे – 411038, महाराष्ट्र
25.	कैप्टन श्रीनिवास मूर्ति केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, चेन्नई	अरिग्नर अन्ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैंपस, अरुम्बक्कम, चेन्नई – 600106, तमिलनाडु
26.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र, अगरतला, त्रिपुरा	135, रामनगर रोड नं. 4, ऑप. राज भंडार, अगरतला, त्रिपुरा, पिन – 799002
27.	डॉ. अचंटा लक्ष्मीपति क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, चेन्नई	द्वितीय तल, वीएचएस कैंपस, तारामणि, चेन्नई, तमिलनाडु, पिन – 600113
28.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर	क्वार्टर नं. NGII-1/3, चक्करगाँव (पी.ओ.), ऑप. म्युनिसिपल कॉम्प्लेक्स, नियर गणेश टेम्पल, चक्करगाँव, पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण अंडमान – 744112
29.	खनिज एवं समुद्री औषधीय संसाधनों हेतु क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, गोवा	पुराना जीएमसी बिल्डिंग, रायबंदर, गोवा, पिन-403006
30.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र, दीमापुर, नागालैंड	सीएमओ भवन, पहली मंजिल, जिला अस्पताल कॉलोनी, दीमापुर, नगालैंड, पिन-797112